प्रकरण संख्या 18/2022 नाकू व अन्य बनाम मांगूलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के पूर्वाधिकारी नाथूलाल ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या 52 के कुल खेत 26 रकबा 200 बीघा 4 बिस्वा भूमि गांव नांदरामाल बोरखाबर, तहसील आम्बापुरा में स्थित है। अतः उक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.09.1972 को विभाजन का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्टगण की पैत्रृक भूमि है तथा उनके हित समाहित हैं तथा अपीलान्टगण अपने हिस्से की भूमि पर अपने बाप–दादा के समय से काबिज चले आ रहे हैं। वादी ने गलत वंशावली प्रस्तुत कर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए डिक्री प्राप्त की है, जो विधि के विपरीत है। दिनांक 10.07.2022 को रेस्पोन्डेन्टगण मौके पर आये तथा सारी जमीन अपनी बताते हुए जमीन छोड़ने को कहा तो अपीलान्टगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया। दिनांक 25.08.2022 को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 50 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का जो कारण अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र में बताया है वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 21.09.1972 के निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 30.09.2022 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 20.11.1972 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपील करीब 49 वर्ष 10 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं इतने लम्बे अन्तराल बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है, जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। स्वयं अपीलान्टगण के कथनानुसार अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्टगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा अपना कब्जा अपने बाप–दादा के समय से होना बताते हैं। ऐसी स्थिति में 50 वर्षो तक परिवार के सदस्य को उक्त निर्णय की जानकारी न रही हो, विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/1972 निर्णय 21.09.1972 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested